

33 सेवाओं पर कर

Service Tax

सर्विस टैक्स 1 जुलाई 1994 से, केन्द्र सरकार द्वारा लागू किया गया है (तत्पश्चात लगभग प्रतिवर्ष उसमें संशोधन किये जाते रहें हैं) जिसके कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :-

- ☞ वर्ष के दौरान 7 लाख रुपये की कर योग्य सेवाओं का टर्न ओवर होने पर रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन आवश्यक
- ☞ कोई रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं। आवेदन के 7 दिन के अंदर पंजीकृत माना जायेगा।
- ☞ सेवाओं के मूल्य प्राप्त होने पर ही सर्विस टैक्स देय। अधिक भुगतान होने पर रिफंड की सुविधा।
- ☞ कुछ विशिष्ट रिकार्ड रखने की आवश्यकता नहीं।
- ☞ स्वयं के द्वारा प्राप्त सेवाओं पर भुगतान किये गए सर्विस टैक्स के समायोजन की सुविधा।
- ☞ सामान्यतया सर्विस टैक्स देने का दायित्व सेवा प्रदाता (Service Provider) का होता है।
- ☞ सर्विस टैक्स की दरें कर योग्य सेवाओं की संख्या तथा लागू होने की तिथि निम्नानुसार बदलती रही है:-

लागू होने की तिथि	सेवाओं के शुद्ध मूल्य पर देय कर
अ) 01.07.1994 से	5%
ब) 08.05.2003 से	8%
स) 10.09.2004 से	10% + 2% शिक्षण सेस अर्थात 10.2 %
द) 18.04.2006 से	12% + 2% शिक्षण सेस अर्थात 12.24%
इ) 01.04.2007 से	12% + 3% शिक्षण सेस अर्थात 12.36%
फ) 25.02.2009 से	10% + 3% शिक्षण सेस अर्थात 10.3%
ह) 01.04.2012 से	12% + 3% शिक्षण सेस अर्थात 12.36%
प) 01.06.2015 से	14% + 0% शिक्षण सेस अर्थात 14.00%
य) 15.11.2015 से	14% + 0.5% स्वच्छता सेस 14.5%
र) 01.06.2016 से	14% + 0.5% स्वच्छता सेस + 0.5% कृषि कल्याण सेस 15%

- ☞ छोटे सर्विस प्रदाता (Service Provider) की सुविधा हेतु, 01.04.2008 से, वित्तीय वर्ष के दौरान, प्रदत्त की गई सभी (एक से अधिक भी हो सकती है) करयोग्य सेवाओं का कुल (Aggregate) मूल्य, यदि 10 लाख रु. तक है तो उन्हें सर्विस टैक्स देने से छूट दी गई है। अर्थात 1/4/2008 के बाद, प्रथम 10 लाख रु तक मूल्य की प्रदान की गई सेवाएं, कर मुक्त होगी। तत्पश्चात प्रदान की सेवाओं के मूल्य पर 14.00% की दर से सेवा कर लगेगा।
- ☞ स्वतः कर निर्धारण (Self Assessment) कर, रिटर्न, प्रत्येक छः माही में, क्रमशः 25 अक्टूबर व 25 अप्रैल तक क्षेत्र के सेंट्रल एक्साईस (Central Exice) के कार्यालय में जमा करना होता है। उसके बाद लेट फीस रु. 500 – 15 दिन, रु. 1000 – 30 दिन तथा रु. 100 – बाद के प्रत्येक दिन के लिए लगेगी।
- ☞ कंपनियों (Corporate) द्वारा माह के दौरान उपलब्ध कराई गई, करयोग्य सेवाओं पर, देय सेवा कर का भुगतान, आने वाले माह की 5 तारीख तक तथा व्यक्तिगत करदाता को, त्रैमासिकी समाप्त होने के बाद आने वाले माह की 5 तारीख को सेवाकर का भुगतान करना आवश्यक है।
- ☞ एक से अधिक सर्विस देने वाले व्यक्ति भी, एक ही आवेदन पर रजिस्ट्रेशन करवाकर (Service Tax Code प्राप्त कर) कुल टैक्स, निर्धारित बैंकों से फार्म नं. TR-6 के माध्यम से जमा कर सकते हैं।
- ☞ सर्विस टैक्स के रूप में वसूल की गई राशि, समायोजन (यदि कोई हो तो) के बाद, जमा करवाना आवश्यक, अन्यथा 13 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज लगेगा। अर्थात किसी भी स्थिति में वसूल किये गये सर्विस टैक्स का भुगतान सरकारी खाते में जमा करना आवश्यक है। सर्विस टैक्स का भुगतान नहीं करने पर ब्याज के अतिरिक्त रु. 200 प्रति दिन या शेष टैक्स का 2 प्रतिशत, जो अधिक हो, की पेनाल्टी लगाई जा सकती है।
- ☞ रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन नहीं करने पर धारा 75 A के तहत 500 रु. की पेनाल्टी लगाई जा सकती है।
- ☞ वित्त विधेयक 2015 द्वारा जिन सेवाओं की निगेटिव सूची में वृद्धि की गई है तथा कुछ सेवाओं को सेवाकर से मुक्त किया गया है, की विस्तृत जानकारी वेबसाइट www.servicetax.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।